न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 199/2018
अनवान रूप सिह वगैरा बनाम मलसिह वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

1. रूप सिंह पुत्र साधू सिंह
2. प्रेम प्रकाश पुत्र साधू सिंह

} अकवाम कुम्हार निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. मलसिंह
2. सुखदेव सिंह
3. कौर सिंह

} पिसरान कैला सिंह करनैल सिंह अकवाम कुम्हार निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया

4. तहसीलदार राजस्व संगरिया
5. बृजलाल पुत्र मेहरचन्द जाति जाट सा.भाखरावाली तहसील संगरिया।

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की सयुक्त खाता की कृषि भूमि चक़ 4 एस.टी.पी ज.स 2070–73 खाता स 127/13 खाता रूप सिंह आदि मे प.न 172/124 मु.न 42 कि.न 24,25 प.न 173/124 मु.न 43 कि.न 21 प.न 173/125 मु.न 66 कि.न 1,10 व प.न 172/125 मु.न 67 कि.न 5 है दर्ज राजस्व रिकार्ड है जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण स 1 ता 3 की सयुक्त खाता की कृषि भूमि चक न 4 एस.टी.पी ज.स 2070–2073 खाता स 126/13 खाता मल सिंह आदि मे प.न 176/120 मु.न 11 कि.न 22,23,24/2 प.न 172/124 मु.न 42 कि. न 21/2,22,23 एव प.न 172/125 मु.न 67 किला न 2 ता 4 ,7,9,12ता14 ,18,19 कुल 3.757है दर्ज राजस्व रिकार्ड है जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण गरीब व्यक्ति है व लघू काश्तकार है जिन्हे अपनी कृषि भूमि मे जाने हेतू राजस्व रिकार्ड मे दर्ज काई भी रास्ता उपलब्ध नही है प्रार्थीगण अर्सा दराज से अप्रार्थीगण स 1 ता 3 की कृषि भूमि चक न 4 एस.टी.पी प.न 172/124 मु.न 42 कि.न 21/2 ,22,23 की दक्षिण सीव के चिपते पश्चिम से पूर्व मे मौका पर चालू रास्ता से आवागमन करते आ रहै है तथा उपरोक्त रास्ता मौका पर आज चालू है प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मे जाने हेतू यही एक मात्र रास्ता है जो सबसे नजदीक है तथा वेकल्पिक रास्ता है जिसका अकंन प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड मे करवाने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की मद स 3 मे अप्रार्थीगण स 1 ता 3 के नाम दर्ज आराजी अप्रार्थीगण स 1 ता 3 के पिता स्व कैला सिंह उर्फ करनैल सिंह पि मु इन्द्र सिंह के नाम दर्ज थी कैला सिंह उर्फ करनैल सिंह की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यू के बाद उनके हिस्से की आराजी वर्णित पैरा स 3 प्रार्थना पत्र उनके जायज व कानूनी वारिसान अप्रार्थीगण स 1 ता 3 के नाम दर्ज हूई। अप्रार्थीगण स 1 ता 3 के नाम स्व कैला सिंह उर्फ करनैल सिंह पि.मु इन्द्रसिंह ने प्रार्थीगण के साथ दिनाक 09–03–2015 को अनुबध पत्र 100 रू के स्टाम्प पर रोबरू गवाहन निष्पादित किया गया था कि कैला सिंह उर्फ करनेल सिंह यानि अप्रार्थी स 1 ता 3 के पिता के नाम दर्ज चक न 4 एस.टी.पी प.न 172/124 मु.न 42 किला न 21/2 ,22,23 कुल तादादी 0.039 है भूमि का उपयोग व उपभोग के लिए अपने सहखातेदारन श्री रूप सिंह व प्रेम प्रकाश पुत्र साधू सिंह जाति कुम्हार निवासी भाखरावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज यानि प्रार्थीगण को दे रहै है उक्त दी गई 0.039 संगरिया जिला हनुमानगढ यानि प्रार्थीगण को दे रहै है उक्त दी गई 0.039 है

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Scanned with OKEN Scanner

भूमि का उपयोग उपभोग रास्ता के लिए कर हर प्रकार से आने जाने के लिए सहखातेदारान स्वतत्र होगे इस अनुबंध को नोटेरी पब्लिक से अनुप्रमाणित भी करवाया गया था जो आज तक प्रभाव मे है चित्रप्रति अनुबंध दिनाक 09–03–2015 सलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण स 1 ता 3 ने प्रार्थीगण को धमकी दी है कि वे मौका पर चक न 4 एस.टी.पी 172/124 मु.न 42 कि.न 21/2 ,22,23 मे चल रहे रास्ता मे कमरा बनाकर बंद कर देगे अगर अप्रार्थीगण स 1 ता 3 ने उक्त रास्ता बंद कर दिया तो प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला बनता है तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू व सुविधा का सतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बखूबी साबित है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण स 1 ता 3 के खिलाफ इस अमर की स्थाई निषेधज्ञा प्राप्त करत करने का अधिकारी है कि वे चक न 4 एस.टी.पी प.न 172/124 मु.न 42 किला न 21/2,22,23 मे मौका पर चल रहै रास्ता को किसी प्रकार से बन्द न करे तथा उसमे किसी प्रकार का निर्माण नही करे मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण स 1 ता 3 को गाव भाखरावाली मे उपरोक्त रास्ता मंजूर करवाने हेतु कहा तो अप्रार्थीगण 1 ता 3 ने स्पष्ट इंकार कर दिया। अप्रार्थी स 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण प्रार्थना पत्र मे पक्षकार बनाया गया है।

अत प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि चक न 4 एस.टी.पी प.न 172/124 मु.न 42 कि.न 21,22,23 मे दक्षिण सीव के साथ पश्चिम से पूर्व 0.013है रास्ता मंजूर कर राजस्व रिकार्ड मे अकंन करने के आदेश फरमया जावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 5 (प्रार्थी) के नाम चक 4 एसटीपी के खाता संख्या 105/75 ज.स. 2070–2074 में 0.450 है. कृषि भमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थी संख्या को अपनी कृषि भूमि मे जाने हेतु चक 4 एसटीपी के प.न. 172/124 मु.न. 42 किला नं. 24 में 8.5 फुट चौड़ा किला नं. 23 से चिपता व 8.5 फुट चौड़ा किला नं. 4 से चिपता किला नं. 24 में कुल 0.024 है. व किला नं. 25 में पश्चिमी दक्षिणी होने में 0.00067 है. व पं.न. 172/125 मु.न. 67 किला नं. 5 व 6 में 0.013 है.प्र. में किला नं. 4 व 7 से चिपता रास्ता स्वीकृत किया जाने का कथन किया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 5 के काउन्टर क्लेम का जवाबउल जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 5 को अपने खेत में आने हेतु चक 4 एसटीपी प.न. 172/125 मु.न. 67 किला नं. 18–19–20 में किला नं. 21 ता 23 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर अप्रार्थी संख्या 5 का काउण्टर क्लेम खारिज किया जावे। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 742 दिनांक 09.12.2024 द्वारा चक 4 एसटीपी के प.न. 172/124 मु.न. 42 के किला नं. 21,22,23 के उतरी सीमा पर रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता होना बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थीगण को रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहते है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रार्थना पत्र में बिना कोई संशोधन करवाये अपना काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर रास्ता का अनुतोष चाहा गया है जो दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 4 एसटीपी में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 4 एसटीपी के प.न. 172/124 मु.न. 42 किला नं. 21/2, 22,23 में दक्षिणी सींव के साथ पश्चिम से पूर्व एक–एक बिस्वा चौड़ा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। तथा अप्रार्थी संख्या 5 का काउन्टर क्लेम इस निर्देश के साथ खारीज किया जाता है कि यदि आपको मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव है तो नये सिरे से, निकटतम मार्ग के अनुसार संबंधित को पक्षकार बनाकर अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए के तहत नया प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वंतन्त्र है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 28.2.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया